रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253031
CG-DL-E-15032024-253031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945
No. 188] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सा.का.नि. 201(अ).—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.744 (अ) तारीख 16 अक्तूबर, 2023, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और सभी लोगों से जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है उक्त प्रारूप नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां उस तारीख से जिसको वे जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं साठ दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप नियम वाले राजपत्र की प्रतियां 16 अक्तूबर, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और इस अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकत: विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6, और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिन्हें इसके पश्चात नियम 3 के उक्त नियम कहा गया है, -

(i) खंड (कग) स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(क ग) "जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक" से, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के अलावा अन्य प्लास्टिक अभिप्रेत है, जो मृदा, भूमि भराव, नालों के कीचड़, ताजे पानी, समुद्री जैसे विनिर्दिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा किसी सूक्ष्म प्लास्टिक या दृश्यमान या अलग-अलग छोड़े बिना नष्ट हो जाता है या विषाक्त अवशेष, जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;";

(ii) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(त) "आयातक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए किसी प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग वाली किसी वस्तु या थैली या प्लास्टिक चादर या वैसी ही सामग्री या प्लास्टिक की कच्ची सामग्री का आयात करता है, जो रेजिन या दानों या मध्यवर्ती सामग्री के रूप में शामिल है जिसे फिल्म या प्रीफॉर्म जैसी विनिर्माणकारी प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है ;";

(iii) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(द) "विनिर्माता" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक कच्ची सामग्री का उत्पादन करने में लगा हुआ है, जिसमें कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक भी सम्मिलित है;';

(iv) खंड (ढ) में, "धातुकृत परतें या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(v) खंड (ध) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(ध) "उत्पादक" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण में लगा हुआ है; और, इसके अंतर्गत प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती सामग्री के विनिर्माण में लगा व्यक्ति भी सम्मिलित है, और प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करके या ब्रांड स्वामियों की अन्य वैसी ही व्यवस्थाओं के माध्यम से उत्पादों के संविदा विनिर्माण में लगा व्यक्ति भी सम्मिलित है;';

(vi) खंड (प क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा -

'(प क) "विक्रेता" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक की कच्ची सामग्री जैसे रेजिन या दानों या प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादन के लिए उपयोग की गई मध्यवर्ती सामग्री का विक्रय करता है;'।

3. उक्त नियम के नियम 4 में,-

(क) उपनियम (1) में, -

(i) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ङ) विनिर्माता किसी उत्पादक या इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किए गए विक्रेता को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक का विक्रय या उपलब्ध या व्यवस्था नहीं कराएगा;";

(ii) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(ज) खंड (ग) के अधीन मोटाई का उपबंध कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी थैली या वस्तुओं को लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी थैलियां और वस्तुएं विनिर्देश नामक कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए भारतीय मानक: आईएस/आईएसओ 17088:2021 के अनुरूप होंगी,;,

(iii) खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(जक) विनिर्माता थैलियों या सिर्फ वो वस्तुएँ जो की उप नियम (3) में शामिल हें वो वस्तुएँ कम्पोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक का प्रयोग करके बन सकती हें करने वाली का विनिर्माण इन नियमों और खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के विनियमों के अधीन अधिकथित अनिवार्य चिन्हांकन और लेबलिंग का उपयोग करेगा; कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक थैलियां या नियमों के अधीन अनुज्ञात वस्तुओं के विनिर्माताओं को विपणन या विक्रय से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे ";

(ख) उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3क) कंपोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का विनिर्माता बाजार में प्रस्तुत की गई ऐसी वस्तुओं की मात्रा और उत्पन्न पूर्व-उपभोक्ता अपशिष्ट की रिपोर्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देगा।";

(ग) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(5) प्लास्टिक या उसके हिस्से से बनी वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता विनिर्माण के प्रक्रम पर अस्वीकृत या परित्यक्त की गई सामग्री के रूप में उत्पन्न पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेगा और ऐसा विनिर्माण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को रिपोर्ट करेगा ।"

4. उक्त नियम के नियम 6 में,-

(i) उप-नियम (1) में, "या उत्पादक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1क) प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी, कम्पोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माता, उनके और स्थानीय निकायों द्वारा पारस्परिक रूप से तय पाए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार, स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय निकाय के साथ संबद्ध हो सकते हैं।"

(iii) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष 30 जून तक डंप साइटों में विद्यमान प्लास्टिक अपशिष्ट सहित उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का मूल्यांकन करेगा और अगले पांच वर्ष की अवधि में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक सामग्री की मात्रा का भी अनुमान लगाएगा।

(6) स्थानीय निकाय संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना ढांचे का मूल्यांकन करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को एक रिपोर्ट भेजेगा।

(7) स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिषिद्ध एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, उनके वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(8) स्थानीय निकाय वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल करेगा, और उन्हें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, अर्थात्: -

(i) एक वर्ष में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसमें पुराना प्लास्टिक अपशिष्ट भी शामिल है;

(ii) संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना;

(iii) उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का अनुमान;

(iv) उपविधियां बनाने और उनके कार्यान्वयन की प्रास्थिति;

(v) प्रतिषिद्ध एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, उनके वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए की गई कार्रवाई ।

5. उक्त नियम के नियम 7 में,-

(i) उपनियम (1) में,-

(क) "ग्राम पंचायत" शब्दों के पश्चात" या जिला स्तर पर पंचायत" शब्द अंत:स्थापित किए जाने चाहिए;

(ख) खंड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(घ) अपशिष्ट चुगने वालों के साथ काम करने वाले नागरिक समाजों या समूहों को लगाना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए;

(च) अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिषिद्ध एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, उनके वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना।";

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) प्रत्येक उत्पादक**,** आयातक और ब्रांड स्वामी**,** विनिर्माता और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माता**,** जिला और ग्राम स्तर पर उनके और पंचायत द्वारा प्रवेश किया गया

पारस्परिक रूप से तय पाए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार, स्वैच्छिक आधार पर जिला और ग्राम स्तर पर पंचायत के साथ संबद्ध हो सकते हैं।"

6. उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"7क. जिला स्तर पर पंचायतों की जिम्मेदारी.-

(1) जिला स्तर पर पंचायत प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पाटन स्थलों पर विद्यमान प्लास्टिक अपशिष्ट सहित उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का मूल्यांकन करेगी और अगली पांच वर्ष की अवधि में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का भी अनुमान लगाएगी।

(2) जिला स्तर पर पंचायत संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का मूल्यांकन करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को रिपोर्ट करेगी।

(4) जिला स्तर पर पंचायत वार्षिक रिपोर्ट में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे:

(i) एक वर्ष में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसमें पुराना प्लास्टिक अपशिष्ट भी शामिल है;

(ii) संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना;

(iii) उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का अनुमान;

(iv) उपविधियों की विरचना और कार्यान्वयन की प्रास्थिति;

(v) प्रतिषिद्ध एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, उनका वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए की गई कार्रवाई ।

7. उक्त नियम के नियम 9 में,-

(i) उप-नियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी जो बाजार में किसी भी प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रस्तुत करते हैं, ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग के संग्रहण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(2) जहां कोई भी उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी अपनी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को पूरा करता है, उसे उप-नियम (1) के अधीन अपनी जिम्मेदारी का अनुपालन किया गया माना जाएगा।

"(2क) उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी, विनिर्माता, और कंपोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विनिर्माता, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे।"

8. उक्त नियम के नियम 10 में,-

(क) उप-नियम (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु यह जहां जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक का परीक्षण प्रयोगशाला के रजिस्ट्रीकरण से पहले आरंभ हो गया हो, और रिपोर्ट आईएस17899 टी:2022 के अनुरूप हो, वहां ऐसे जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक की, नियम 18 के अधीन उदग्रहणीय पर्यावरण प्रतिकर की रकम के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए विधिवत मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की अवधि तक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक से पुन: परीक्षण के लिए पूछेगा और उत्पादन या उपयोग की अनुमति देगा:

परंतु यह और कि ऐसे परीक्षण का परिणाम आईएस 17899 टी:2022 के अनुरूप नहीं होता है तो बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

(ख) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(7) बीआईएस प्लास्टिक पैकेजिंग और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के लिए अलग रंग या चिन्हांकन विनिर्दिष्ट करेगा।"

IndiaCode

9. उक्त नियम के नियम **11** में,-

(i) उप-नियम (**2**) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) प्रत्येक पुन:चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु पर एक लेबल होगा "पुन:चक्रित में ---- पुनर्चक्रित प्लास्टिक का प्रतिशत" और नीचे दर्शाए गए अनुसार एक चिह्न होगा और भारतीय मानक आईएस **14534: 2023** के अनुरूप होगा: जिसका शीर्षक समय-समय पर संशोधित "प्लास्टिक - प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन:प्राप्ति और पुनर्चक्रण" - दिशानिर्देश" है।"



टिप्पण : पैट-पोलीथाइलिन टेरीफैथेलेट, एचडीईपी-उच्च डेंसिटी पोलीथाइलिन, वी-विनाइल (पीवीसी), एलडीपीई - निम्न डेंसिटी पोलीथाइलिन, पीपी-पोलीप्रोपिलिन, पीएस पोलीस्टायरिन और अन्य से अभिप्रेत सभी अन्य राल और बहुसामग्रियां हैं जैसे एबीएस (एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन स्टायरिन), पीपीओ (पोलीफेननाइलिन आक्साइड), पीपी (पोलीकार्बोनेट), पीवीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आदि।

(ii) उप-नियम (**2**) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(3) कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी प्रत्येक प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु पर "केवल औद्योगिक कंपोस्टिंग के अधीन कंपोस्टेबल" लेबल होगा और यह भारतीय मानक: आईएस/आईएसओ **17088: 2021** के अनुरूप होगा , जिसका शीर्षक कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए विनिर्देश होगा।"

जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी प्रत्येक प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु पर "जैवनिम्नकरणीय [---दिनों की संख्या ---] केवल [---प्राप्तकर्ता वातावरण जैसे मृदा, लैंडफिल, पानी आदि] लेबल लगा होगा। .---]**".**

10. उक्त नियम के नियम 13 में,-

(i) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) प्लास्टिक कच्ची सामग्री का प्रत्येक विनिर्माता और आयातक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्ररूप-3 में रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति के समक्ष आवेदन करेगा:

(4*क) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, प्लास्टिक कच्ची सामग्री का विनिर्माता और आयातक,*-

(i) केवल इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत निर्माता या विक्रेता को प्लास्टिक कच्ची सामग्री विक्रय करेगा और ऐसे उत्पादक या विक्रेता की रजिस्ट्रीकरण संख्या प्लास्टिक कच्ची सामग्री की विक्रय के लिए विक्रय चालान पर उल्लिखित है;

(ii) प्रतिषिद्ध एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण में लगी किसी भी संस्था या इकाइयों को प्लास्टिक की कच्ची सामग्री विक्रय नहीं करेगा;

(iii) प्लास्टिक कच्ची सामग्री के सभी पैकेजिंग थैलों पर निम्नलिखित मुद्रित किया जाएगा:

"प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्रतिषिद्ध एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग नहीं किया जाए, जिसमें प्लास्टिक शीट <50 माइक्रोन मोटाई, गैर-बुनी हुई थैलियां<60 जीएसएम, थैलियां <120 माइक्रोन मोटाई" शामिल हैं;

(iv) केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

"(4ख) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री या प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई मध्यवर्ती सामग्री की विक्रय में लगा प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।";

(iii) उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(8) जहां सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के बाद तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है, वहां आवेदक को ऐसी अवधि की समाप्ति पर इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा।"

11. नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा:

"17. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण या प्रसंस्करण में लगा प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप-4 में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और संबंधित स्थानीय निकाय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री का प्रत्येक विनिर्माता और आयातक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के लिए प्ररूप-4 में एक त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे तिमाही के पश्चात आने वाले मास के अंतिम दिवस तक और वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून तक ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(3) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री या प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई मध्यवर्ती सामग्री की विक्रय में लगा प्रत्येक व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को संव्यवहार के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून ऑनलाइन रूप में प्रस्तुत करेगा।

(4) जिला स्तर पर प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतें प्ररूप-5 में क्रमशः शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार और उसे प्रत्येक वर्ष 30 जून ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(5) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति जिला स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का स्वयं या किसी पदामिहित अभिकरण के माध्यम से लेखापरीक्षा कराएगी और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की प्रति और वार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रति वर्ष 31 जुलाई तक इन नियमों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए प्ररूप-6 में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को या उससे पहले इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और अपनी अनुशंसाओं के साथ केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

12. उक्त नियमों की अनुसूची 2 में,

(i) शीर्षक में "प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी संबंधी दिशानिर्देश" शब्दों के पश्चात "और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुएं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैरा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा

4 "बाध्य अस्तित्व:

विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी बाध्यताओं के अंतर्गत इकाइयां आएंगी, अर्थात: -

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भिन्न, प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक;

(ख) सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग का आयातक, जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे फिल्म और प्रीफॉर्म और आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई मध्यवर्ती सामग्री भी शामिल है;

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/बाजार स्थल और सुपरमार्केट/खुदरा श्रृंखला सहित ब्रांड स्वामी;

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता;

(ङ) प्लास्टिक कच्ची सामग्री के विनिर्माता और आयातक;

(च) कम्पोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विनिर्माता।

IndiaCode

(iii) पैरा 5 में, के उप पैरा 5.1 में,

(क) मद (iv) में, "थैले" शब्द के पश्चात, "और वस्तुएं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (iv) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“(v) प्रवर्ग 5

पैकेजिंग के लिए उपयोग की गई प्लास्टिक शीट या वैसी ही प्लास्टिक शीट, जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से निर्मित थैले और वस्तुएं।”

(iv) पैरा 6 के उप-पैरा (6.1) में, निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"(क) निम्नलिखित अस्तित्व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत होंगी, अर्थात:-

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित उत्पादक (पी)

(ii) आयातक (आई);

(iii) ब्रांड स्वामी (बीओ);

(iv) (क) पुनर्चक्रण, (ख) अपशिष्ट से ऊर्जा, (ग) अपशिष्ट से तेल, और (iv) औद्योगिक खाद बनाने में लगे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता;

(v) प्लास्टिक कच्ची सामग्री के विनिर्माता और आयातक;

(vi) कम्पोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से निर्मित मदों के विनिर्माता।

(v) पैरा 7 में,-

(क) उप-पैरा (7.8) का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (7.8) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(7.9) प्लास्टिक कच्ची सामग्री के विनिर्माता या आयातक - विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी लक्ष्य:

(i) उत्पादकों की विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं जिन्हें इसमें इसके पश्चात सूक्ष्म और लघु उत्पादक कहा गया है, प्लास्टिक कच्ची सामग्री के विनिर्माताओं या आयातकों द्वारा पूरी की जाएगी जिन्होंने ऐसे सूक्ष्म और लघु उत्पादकों को प्लास्टिक कच्ची सामग्री की आपूर्ति की है;

परंतु ऐसे उत्पादकों द्वारा पुनर्चक्रित प्लास्टिक अंतर्वस्तु के उपयोग का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

(ii) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के विनिर्माता या आयातक के लिए प्रवर्ग वार विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उत्पादकों को बेची गई प्लास्टिक कच्ची सामग्री की मात्रा होगी, जहां विक्रय बीजक को प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के विनिर्माता या आयातक द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अधिप्रमाणित किया जाता है, ऐसे सूक्ष्म और लघु उत्पादकों द्वारा ब्रांड स्वामियों और उत्पादकों को की गई विक्रय को छोड़कर, जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में प्रवर्गीकृत नहीं किया गया है।

(iii) उत्पादक जो सूक्ष्म या लघु उद्यम है इसके द्वारा विनिर्मित प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रवर्ग केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर घोषित करेगा।

(iv) विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी लक्ष्य को पूरा करते समय प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के विनिर्माता या आयातक को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर (उपयोगिता काल समाप्ति पर निपटान को छोड़कर) को श्रेणी-वार सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है। अर्थात :-

IndiaCode

तालिका

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (उपयोगिता काल समाप्ति पर निपटान को छोड़कर)।

(विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी लक्ष्य का प्रतिशत)

प्लास्टिक पैकेजिंग का प्रवर्ग	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और आगे
प्रवर्ग I	50	60	70	80
प्रवर्ग II	30	40	50	60
प्रवर्ग III	30	40	50	60

(vi) पैरा 8 में, उप- पैरा (8.4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(8.5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाध्य अस्तित्वों के बीच विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्रों की अदला-बदली के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म/प्लेटफॉर्मों की स्थापना के लिए अभिकरणों के प्राधिकृत किए जाने संबंधी दिशानिर्देश जारी करेगा।

(8.6) विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्रों की अदला-बदली की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म/प्लेटफॉर्मों की संख्या को प्रतिषिद्ध किया जा सकता है।

(8.7) इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का प्रचालन केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(8.9) इन नियमों के नियम 18 के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्रों के लिए उच्चतम और न्यूनतम कीमत तय करेगा, जो विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी बाध्यताओं उत्तरदायित्वों को पूरा न करने के लिए बाध्य अस्तित्व पर उदग्रहणीय पर्यावरण प्रतिकर के क्रमशः 100 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के बराबर होगा।

(8.10) इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्र का विनिमय मूल्य जैसा ऊपर निर्धारित है उसके अनुसार उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच होगा।"

(vii). पैरा 10 में,-

(क) शीर्षक में "उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों की भूमिका" शब्दों के स्थान पर "उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों और विनिर्माताओं और कंपोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माताओं और उत्पादकों की भूमिका" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (10.1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(10.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों और निर्माताओं और कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माताओं को ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत करना होगा।

(ग) उप-पैरा (10.5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(10.5) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को सीधे पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रह के लिए एक अलग अपशिष्ट धारा विकसित करने के लिए, उत्पादक, आयातक और ब्रांड-स्वामी और प्लास्टिक कच्ची सामग्री के विनिर्माता और आयातक और कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माता जमा वापसी प्रणाली या पुनः क्रय या किसी अन्य मॉडल जैसी स्कीमें चला सकते हैं। जिससे ठोस अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के मिश्रण को रोकने के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी बाध्यता को प्रत्यक्षत: पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग के संग्रहण हेतु पृथक अपशिष्ट स्ट्रीम को विकसित किया जा सके।

(घ) उप-पैरा (10.6) में ,

(अ) "उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी" शब्दों के पश्चात "प्लास्टिक कच्ची सामग्री के विनिर्माता और आयातक" शब्द रखे जाएंगे।

(आ) निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"परंतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के संबंध में इस पैरा के अधीन वार्षिक विवरणी 31 मार्च को या उससे पहले फाइल की जा सकेगी।

(viii) पैरा 11 में, उप-पैरा (11.2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के संबंध में इस उप-पैरा के अधीन वार्षिक विवरणी 31 मार्च 2024 को या उससे पहले फाइल की जा सकेगी; "।

(ix) पैरा 15 में, उप-पैरा (15.1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(15.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों और कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न फाइल करते समय अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक पुन:चर्कित प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु और उपयोगिता काल समाप्ति पर निपटान के लिए भेजे गए प्रमाणपत्रों का विवरण प्रदान करेंगे।

(15.2) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों और विनिर्माताओं और कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए विवरणों को सत्यापन किया जाएगा और अंतर होने के मामले में, इन नियमों के अधीन निचले आंकड़े को उत्पादक, विस्तारित जिम्मेदारी बाध्यता को पूरा करने के लिए माना जाएगा।

(15.3) प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा सत्यापन के अध्यधीन होगा।

(15.4) जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक के विनिर्माता परस्पर सहमत तौर-तरीकों के आधार पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सृजित विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्र प्राप्त करके अपने विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी बाध्यता को पूरा करेगा।

(15.5) स्थानीय प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार संबंधित प्राप्तकर्ता पर्यावरण में जीवन के अंत तक जैवनिम्नीकरण के लिए उनके द्वारा एकत्र किए गए जैवनिम्नीकरण प्लास्टिक के बराबर विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, इस तरह के लेनदेन को विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ढांचे के अधीन वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय निर्माताओं द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड और जमा किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

13. उक्त नियमों में, 'प्ररुप-I' केलिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

“प्रपत्र-I'

[नियम 13(2) देखें]

उत्पादकों या ब्रांड स्वामियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

.....

.....(अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

.....प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्री के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

1. उत्पादक

(क) बड़े और मध्यम उत्पादक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार)

	भाग- क	
	सामान्य	
1.(क)	इकाई का नाम और स्थान	
(ख)	इकाई का पता	
(ग)	निम्नलिखित के निर्माण के लिए रजिस्ट्री आवश्यक है: i. कैरी बैग; (क) पेट्रो- आधारित, (ख) वनस्पति खाद-योग्य ii. बहुस्तरीय प्लास्टिक	
(घ)	विनिर्माण क्षमता	
(ङ)	नवीनीकरण के मामले में, पिछला रजिस्ट्रीकरण नंबर और रजिस्ट्री की तारीख	
2.	क्या इकाई, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र के साथ पंजीकृत है? यदि हाँ, तो एक प्रति संलग्न करें।	
3.(क)	परियोजना पर निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ होने का वर्ष	
4. (क)	उत्पादों और उप-उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्चे माल की सूची और मात्रा	
5.	विनिर्माण प्रक्रिया का एक प्रवाह आरेख प्रस्तुत करें जिसमें उत्पादों और कैप्टिव बिजली उत्पादन और पानी सहित उत्पन्न अपशिष्ट के संदर्भ में इनपुट और आउटपुट दर्शाया गया हो।	
6.	इन नियमों के अनुपालन की स्थिति- मोटाई - पचास माइक्रोन (हां/नहीं)	
	भाग – ख	
	तरल प्रवाह और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित	
7.	क. क्या इस इकाई के पास जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन वैध सहमति है? यदि हाँ, तो एक प्रति संलग्न करें	
	ख. क्या इस इकाई के पास वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध सहमति है? यदि हाँ, तो एक प्रति संलग्न करें	

IndiaCode

भाग- ग

अपशिष्ट से संबंधित

8.	ठोस अपशिष्ट या बेकार वस्तु: क. उत्पन्न अपशिष्ट की कुल मात्रा ख. संयंत्र के भीतर भंडारण का तरीका ग. कचरे के निपटान के लिए बनाया गया उपबंध
9.	कैरी बैग या प्लास्टिक शीट के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति की सूची संलग्न या प्रदान करें
10.	कर्मियों या ब्रांड मालिकों की सूची संलग्न करें या प्रदान करें जिन्हें उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी
11.	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए अधिसूचित विनियम के अनुसार कार्य योजना

नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख:

स्थान:

IndiaCode

(ख) सूक्ष्म और लघु उत्पादक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार)

भाग – क सामान्य

1.	सूक्ष्म या लघु उत्पादक	
2.	विवरण : क. नाम और स्थान ख. रजिस्ट्रीकृत पता ग. डाक का पता घ. जीएसटी सं. ङ. पैन सं. च. सीआईएन सं. (कंपनियों के लिए लागू) छ. उद्यम रजिस्ट्रीकरण सं.	
3.	अधिकृत व्यक्ति विवरण: क. नाम ख. पदनाम ग. मोबाइल नं. घ. आधार सं. (स्वैच्छिक आधार पर आधार	

	प्रमाणीकरण) ङ. पैन सं. च. ई मेलआईडी	
4.	निर्मित प्लास्टिक पैकेजिंग: श्रेणी - I / श्रेणी - II / श्रेणी - III / श्रेणी - IV / श्रेणी - V)	
5.	कारबार प्रारंभ होने का वर्ष	
6.	इकाई का स्थान: क्र.सं. विनिर्माण इकाई का स्थान विनिर्माण क्षमता (प्लास्टिक-पैकेजिंग श्रेणी वार)	

7.	परियोजना में निवेश की गई कुल पूंजी	
भाग ख : प्लास्टिक पैकेजिंग का विवरण		
8.	विनिर्माण विवरण वर्ष 1, वर्ष 2 मात्रा (एमटी) 1. उपाप्त किया गया कच्चा माल की खरीद 2. उपाप्त की गई प्लास्टिक पैकेजिंग का श्रेणीवार विवरण 3. बेची गई कुल प्लास्टिक पैकेजिंग का श्रेणी-वार विवरण (एमटी) क. ब्रांड मालिक को बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग ख. उत्पादक (बड़े और मध्यम) को बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग ग. उत्पादक (लघु और सूक्ष्म) को बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग घ. विक्रेता को बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग 4. पूर्व-उपभोक्ता का प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (एमटी)	
9.	यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 की अनुपालना की स्थिति	हां/नहीं
10.	मुख पृष्ठ (संलग्नकों सहित)	
11.	सूक्ष्म और लघु उत्पादकों द्वारा स्व-घोषणा	
12.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	
13.	स्व-घोषणा : क. नाम : ख. डिजिटल हस्ताक्षर ग. तारीख : स्थान :	

IndiaCode

टिप्पणी :

(i) रजिस्ट्रीकरण स्व-घोषणा पर आधारित होगा और प्लास्टिक पैकेजिंग पर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिनियम या नियमों के अधीन मालिकाना हक रखने वाली अरजिस्ट्रीकृत कंपनी के मामले में, कंपनी मालिक उद्यम के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने पैन का उपयोग कर सकता है।

II ब्रांड मालिक :

	भाग-क **सामान्य**	
1.	नाम, पता और संपर्क संख्या	
2.	नवीकरण के मामले में, पिछली रजिस्ट्री संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
3.	क्या इकाई, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
4.(क)	परियोजना में निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष	
5.(क)	उत्पादों और उप-उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
	भाग-ख **तरल बहि:स्राव और गैसीय उत्सर्जनों से संबंधित**	
5.	क्या इकाई के पास, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
6.	क्या इकाई के पास, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
	भाग-ग **अपशिष्ट से संबंधित**	
7.	ठोस अपशिष्ट या अवशिष्ट : क. उत्पन्न अपशिष्ट की कुल मात्रा ख. संयंत्र के भीतर भंडारण का तरीका ग. अपशिष्टों के निपटान के लिए की गई व्यवस्था	
8.	प्लास्टिक अपशिष्ट की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति की सूची संलग्न करें या उपलब्ध कराएं	
9.	प्लास्टिक अपशिष्ट को पुन: एकत्रित करने पर कार्य योजना	
	नाम और हस्ताक्षर पदनाम तारीख : स्थान :	

IndiaCode

III. आयातक :

भाग क और भाग ख की मद 3, 4, 5, तथा भाग ग की मद 7 और 8 को प्रयोज्यता के अनुसार भरा जाना है।

भाग-क **सामान्य**		
1.	नाम, पता और संपर्क संख्या	
2.	नवीकरण के मामले में, पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्री की तारीख	
3.	क्या इकाई, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
4.(क)	परियोजना में निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष	
5.(क)	उत्पादों और सह-उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
6.(क)	आयातित या आयात किए जाने वाले उत्पादों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट की मात्रा	
(ख)	आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए पैकेजिंग हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक की मात्रा	
(ग)	आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए बहु-परतीय पैकेजिंग आयातित की मात्रा या आयात की जाने वाली मात्रा	
भाग-ख **तरल बहि:स्राव और गैसीय उत्सर्जनों से संबंधित**		
5.	क्या इकाई के पास, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
6.	क्या इकाई के पास, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
भाग-ग **अपशिष्ट से संबंधित**		
7.	ठोस अपशिष्ट या अवशिष्ट : क. उत्पन्न अपशिष्ट की कुल मात्रा ख. संयंत्र के भीतर भंडारण का तरीका ग. अपशिष्टों के निपटान के लिए की गई व्यवस्था	
8.(क)	(i) पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट (ii) बहुपरतीय पैकेजिंग की आयातित आपूर्ति कराने वाले व्यक्ति की सूची संलग्न करें या उपलब्ध कराएं	

IndiaCode

(ख)	(i) प्लास्टिक शीट या पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट, (ii) स्व-उपयोग के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग की आयातित मात्रा	
9.	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए अधिसूचित विनियमों के अनुसार कार्य योजना	
नाम और हस्ताक्षर पदनाम तारीख : स्थान :		

14. उक्त नियमों में, प्ररूप V के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप V

[नियम 17 (4) देखें]

(क) शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि : (वर्ष)

क	**सामान्य जानकारी**	
1	शहर या नगर और राज्य का नाम :	
2	स्थानीय निकाय का नाम और पता	
3	ई-मेल :	
4	दूरभाष संख्या :	
5	जनसंख्या	
6	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
7	क्या अलग से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है (हां/नहीं)	
8	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	
9	क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या	
9	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या- वार्ड-वार	
10	घर-घर जाकर एकत्र अधीन करने वाले परिवारों की संख्या- वार्ड-वार	
11	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित और घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने में शामिल वाणिज्यिक स्थापनों और संस्थानों की कुल संख्या	
क	वाणिज्यिक स्थापन	
ख	संस्थान	
12	(i) अनौपचारिक क्षेत्र (रियायतग्राही या स्वयं द्वारा प्रसंस्कृत) में अपशिष्ट बीनने वालों सहित मानव संसाधन का ब्यौरा क. एकत्रण ख. सड़क की सफाई	

IndiaCode

	ग. परिवहन घ. पृथक्करण ङ. प्रसंस्करण च. निपटान (ii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (वार्ड वार) में लगे कचरा बीनने वालों का ब्यौरा क. कचरा बीनने वालों की संख्या	
ख	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**	
1.	सीपीसीबी द्वारा तैयार पद्धति के अनुसार उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
2.	सीपीसीबी द्वारा तैयार पद्धति के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट की संरचनात्मक विशिष्टता	
	• प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी I/श्रेणी II/ श्रेणी III/श्रेणी IV/श्रेणी V)	
	• अन्य प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट (i) पुनर्चक्रण योग्य और (ii) गैर-पुनर्चक्रण योग्य)	
3.	पृथक अपशिष्ट (परिवारों की संख्या % या संख्या में) का घर-घर जाकर किया गया संग्रहण – वार्ड-वार	
4.	एमआरएफ की कुल सं. और क्षमता	
	(क) यांत्रिक एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और क्षमता पृथक किए गए अपशिष्ट (एमटी) की मात्रा और क्षमता (एमटी)	
	ख) हस्तचालित एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और पृथक किए गए अपशिष्ट की मात्रा (एमटी) और क्षमता (एमटी)	
5.	प्लास्टिक पुनर्चक्रण सुविधाओं की संख्या - श्रेणीवार विवरण ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या क्षमता (एमटी) सहित नाम और पता पुनर्चक्रित कुल प्लास्टिक अपशिष्ट की क्षमता (एमटी) पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट श्रेणी-वार (एमटी) अन्य पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) जारी किए गए ईपीआर प्रमाणपत्र श्रेणी-वार (एमटी)	
6.	खाद योग्य प्लास्टिक के लिए औद्योगिक खाद इकाई की संख्या और क्षमता ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या और क्षमता (एमटी) सहित नाम और पता अपशिष्ट से बनाई गई खाद (एमटी) प्रसंस्कृत खाद योग्य प्लास्टिक (एमटी)	
7.	परिचालन अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की संख्या और क्षमता ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या और क्षमता (एमटी) सहित नाम और पता प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) उत्पादित ऊर्जा	
8.	तेल इकाइयों के लिए परिचालन अपशिष्टों की संख्या और क्षमता	

IndiaCode

	ईपीआर रजिस्ट्री संख्या और क्षमता (एमटी) सहित नाम और पता प्रसंस्कृत अपशिष्ट (एमटी) उत्पादित तेल	
9.	सड़क निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा और क्षमता किलोमीटर सहित प्रयुक्त प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) सड़क की लंबाई (कि.मी.)	
10.	दिशा-निर्देशों के अनुसार थर्मोसेट प्लास्टिक का निपटान सुरक्षित लैंडफिल में भेजा गया थर्मोसेट प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) सह-प्रसंस्कृत थर्मोसेट प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी)	
11.	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु सीमेंट संयंत्र	
क.	ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ नाम और पता प्राप्त कुल अपृथक्कृत अपशिष्ट (एमटी) सह-प्रसंस्कृत किए गए अपृथक्कृत और प्लास्टिक अपशिष्ट में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रतिशत (एमटी)	
ख.	ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ नाम और पता प्राप्त कुल पृथक्कृत अपशिष्ट (एमटी) श्रेणी-वार सह-प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी)	
12.	पुनर्चक्रणकर्ताओं और अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा सैनिटरी लैंडफिल में निपटाई गई निष्क्रिय सामग्री (एमटी) की मात्रा	
13.	वैज्ञानिक लैंडफिल स्थल (संख्या और क्षमता) की संख्या क्षमता (एमटी) प्राप्त अपशिष्ट (एमटी)	
14.	पुराने अपशिष्ट स्थल (पुराने अपशिष्ट की संख्या और मात्रा) मौजूद अपशिष्ट (एमटी) उपलब्ध नहीं है। आरडीएफ में प्रसंस्कृत अपशिष्ट (एमटी) आरडीएफ में प्लास्टिक अपशिष्ट (%) शेष अपशिष्ट (एमटी)	
15.	रजिस्ट्रीकृत यूएलबी की ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
16.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तैयार किए गए ईपीआर दिशानिर्देश (हां/नहीं) विवरण संलग्न किए जाएं	
ग.	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रवर्तन**	
1.	कृपया पुष्टि करें कि क्या उप-नियम बनाए गए हैं (हां/नहीं)	

IndiaCode

2.	प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग को छोड़कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के उल्लंघनों की संख्या और अनुपालन न होने पर की गई कार्रवाई (नियम 12)				
i.	उल्लंघनों (उदाहरणार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना/इधर-उधर फेंकना) की कुल संख्या				
ii.	की गई कार्रवाइयां (लगाया गया जुर्माना/दण्ड - रूपए)				
3.	**120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले अभिज्ञात सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वस्तुओं और प्लास्टिक कैरी बैग सहित नियम 4 के अधीन अधिरोपित गए प्रतिबंध का कार्यान्वयन करना (वार्ड-वार) (तिमाही संसूचना)**				
(i)	सीपीसीबी एसयूपी अनुपालन ऐप पर रजिस्ट्रीकरण संख्या				
(ii)	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक स्थापन/संस्थाओं और महत्वूपर्ण स्थलों की कुल संख्या				
क.	- वाणिज्यक प्रतिष्ठान : मॉल, सिनेमा हॉल, विमानपत्तन, रेलवे स्टेशन, मेटो स्टेशन, अन्य				
ख.	- संस्था- विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय परिसर आदि				
ग.	- हॉटस्पॉट – पर्यटन स्थल, सब्जी मंडी, थोक बाजार, मछली बाजार, फूल बाजार, धार्मिक स्थल आदि				
(iii)	किए गए निरीक्षणों की कुल संख्या				
(iv)	अधिरोपित किया गया कुल जुर्माना (रु)				
(v)	अभिग्रहीत किए गए प्रतिबंधित एसयूपी की मात्रा (टन)				
(vi)	अभिग्रहीत किए गए एसयूपी के निपटान के ढंग के ब्यौरे				
	अभिग्रहीत की गई एसयूपी की मात्रा (टन)		निपटान का तरीका (पुनर्चक्रण/ डब्ल्यूटीई/ डब्ल्यूटीओ/सह-प्रसंस्करण/ सड़क निर्माण)		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता का नाम और पता
(vii)	अनुकल्पिक सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाईयों का ब्यौरा				
	क्र.सं.	इकाई का नाम	अनुकल्पिक उत्पादित एसयूपी	उत्पादन क्षमता (टीपीए)	पता
(x)	खाद योग्य प्लास्टिक और जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली इकाइयों का ब्यौरा				
(xi)	प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वस्तुओं के पारि अनुकल्पों के लिए दुकानें				
घ.	**फेंके गए प्लास्टिक अपशिष्ट के जलाशयों में प्रवेश करने संबंधी डाटा**				
1.	नालों और अन्य जलाशयों में प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए प्रवेश बिंदु प्रवेश बिंदुओं की संख्या प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए उपाय				

IndiaCode

2.	नदी खण्डों सहित सतही जलाशय सतही जलाशयों की संख्या एकत्र किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
3.	नालों, जिनसे प्लास्टिक अपशिष्ट हटाया गया, की संख्या नालों की कुल लंबाई नालों, जिनसे अपशिष्ट हटाया गया, की कुल लंबाई एकत्र किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) एकत्र की गई गाद	

(ख) पंचायती राज संस्था द्वारा जिला स्तर पर प्रस्तुत किए जाने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट का रूपविधान

संसूचना की अवधि : (वर्ष)

क.	**सामान्य**	
1.	जिला और राज्य का नाम :	
2.	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था का नाम और पता :	
3.	संपर्क हेतु ई-मेल :	
4.	संपर्क हेतु दूरभाष सं.	
5.	सम्मिलित किए गए ग्राम पंचायतों की संख्या	
6.	सम्मिलित किए गए ग्रामों की संख्या	
7.	कुल जनसंख्या	
8.	कुल क्षेत्र	
9.	घरों की कुल संख्या	
ख.	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**	
1.	शामिल अभिकरणों के ब्यौरे के साथ अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु स्थापित कार्यतंत्रों का संक्षिप्त-विवरण (कृपया ब्यौरा संलग्न करें)	
2.	कृपया अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थापित अवसंरचना का ब्यौरा संलग्न करें	
3.	स्थापित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों की क्षमता सहित कुल संख्या	
4.	सीपीसीबी की कार्यपद्धति के अनुसार उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)	
5.	सीपीसीबी की कार्यद्धति के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट का विशेषीकरण (प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट : श्रेणी I/ श्रेणी II/ श्रेणी III/ श्रेणी IV/ श्रेणी V और अन्य ((i) पुनर्चक्रण-योग्य और (ii) पुनर्चक्रण-अयोग्य))	
6.	एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)	
7.	पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन)	
8.	प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए पहुंचाया गया प्लास्टिक अपशिष्ट (प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा और प्रसंस्करण के प्रकार का ब्यौरा)	

IndiaCode

	• पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्लास्टिक अपशिष्ट • सीमेंट भट्टों में सह-प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट • अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल बनाने वाले संयंत्रों को प्लास्टिक अपशिष्ट • सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट	
9.	(i) निम्नलिखित के लिए अनौपचारिक क्षेत्र (रियायतग्राही या स्वयं द्वारा प्रसंस्करण) में कूड़ा बीनने वालों सहित कुल कार्मिकों का ब्यौरा क. एकत्रण ख. गलियों की सफाई ग. परिवहन घ. पृथक्करण ङ. प्रसंस्करण च. निपटान (ii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कूड़ा बीनने वालों का ब्यौरा (वार्ड वार) क. कूड़ा बीनने वालों की संख्या	
10.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निर्धारित ईपीआर मार्गदर्शक सिद्धांत (हां/नहीं)	
	ब्यौरा संलग्न किया जाए	
ग.	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रवर्तन**	
1.	कृपया पुष्टि करें कि क्या उपविधियां बनाई गई हैं (हां/नहीं)	
2.	प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग को छोड़कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के उल्लंघनों की संख्या और अनुपालन होने पर की गई कार्रवाई (नियम 12)	
i.	उल्लंघनों (उदाहरणार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना/इधर-उधर फेंकना) की कुल संख्या	
ii.	की गई कार्रवाइयां (अधिरोपित किया गया जुर्माना/शास्ति रूपए)	
3.	**120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले अभिज्ञात सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वस्तुओं और प्लास्टिक कैरी बैग सहित नियम 4 के अधीन अधिरोपित किए गए प्रतिबंध को लागू करना (वार्ड-वार) (त्रैमासिक संसूचना)**	
i.	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित संस्थाओं और महत्वपूर्ण स्थल की कुल संख्या	
(क)	- संस्था - विद्यालय, महाविद्यालय, आदि	
(ख)	- महत्पूर्ण स्थल – सब्जी मंडी, थोक बाजार, मछली बाजार, फूल बाजार, धार्मिक स्थल आदि	
ii.	किए गए निरीक्षणों की कुल संख्या	
iii.	अधिरोपित किया गया कुल जुर्माना (रु)	
iv.	प्रतिग्रहीत किए गए प्रतिबंधित एसयूपी की मात्रा (टन)	
घ.	**फेंके गए प्लास्टिक अपशिष्ट के जलाशयों में प्रवेश करने संबंधी डाटा**	
1.	नालों और जलाशयों में प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए प्रवेश बिंदु प्रवेश बिंदुओं की संख्या प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए उपाय	

IndiaCode

2.	नदी खण्डों सहित सतही जलाशय सतही जलाशयों की संख्या एकत्र किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
3.	नालों, जिनसे प्लास्टिक अपशिष्ट हटाया गया, की संख्या नालों की कुल लंबाई नालों, जिनसे अपशिष्ट हटाया गया, की कुल लंबाई एकत्र किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) एकत्र की गई गाद	

15. उक्त नियमों में, प्ररूप VI के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्रारूप VI

[नियम 17 (6) देखें]

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

संसूचना की अवधि :

क.	**सामान्य**	
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :	
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम और पता :	
3.	संपर्क हेतु ई-मेल :	
4.	संपर्क हेतु दूरभाष सं. :	
5.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का ब्यौरा (राज्य स्तर)	
	• एकत्रण (मीट्रिक टन)	
	• पृथ्थकरण (मीट्रिक टन)	
	• प्रसंस्करण सहित पुनर्चक्रण (मीट्रिक टन)	
	• निपटान (मीट्रिक टन)	
ख	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यतंत्र**	
1.	अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में सम्मिलित अभिकरणों के ब्यौरे के साथ इसके लिए स्थापित कार्यतंत्र का संक्षिप्त विवरण दिया जाए (कृपया ब्यौरा संलग्न करें)	
2.	कृपया अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थापित अवसंरचना का ब्यौरा संलग्न करें	
3.	एमआरएफ सुविधाओं की कुल संख्या	
क	क्षमता के साथ यांत्रिक एमआरएफ सुविधाओं की संख्या	
ख	क्षमता के साथ मैनुअल एमआरएफ सुविधाओं की संख्या	
ग	**प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन, एकत्रण, पृथक्करण और वर्गीकरण**	
1.	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की कुल संख्या	
2.	वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	
3.	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों (जीपी) की कुल संख्या	

IndiaCode

4क	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की कुल संख्या	
4ख	जिला स्तर पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	
5.	कृपया पुष्टि करें कि सभी ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों ने सीपीसीबी द्वारा नियत प्रारूप के अनुसार नियत समय-सीमा में पूरी जानकारी प्रदान की है (हां/नहीं)	
6.	निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी सूचना प्रस्तुत न करने वाले शहरी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों की कुल संख्या बताएं	
7.	नियमों के अधीन निर्धारित समय-सीमा के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले जिला स्तर/शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्था (पीआरआई) पर लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल रकम का ब्यौरा दें	
8.	सीपीसीबी की कार्य पद्धति के अनुसार उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन) (श्रेणी I/ श्रेणी II/श्रेणी III/श्रेणी IV/श्रेणी V/अन्य)	
9.	एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)	
10.	पृथ्थकृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन)	
11.	कृपया पुष्टि करें कि सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य पद्धति के अनुसार सभी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों ने प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन और वर्गीकरण का आकलन किया है (हां/नहीं)	
12.	कृपया सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य पद्धति के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट वर्गीकरण रिपोर्ट अपलोड करें	
13.	कृपया पुष्टि करें कि सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य पद्धति के अनुसार जिला स्तर पर यूएलबी और पीआरआई के लिए डाटा सत्यापन और मिलान किया गया है (हां/नहीं)	
घ	**ईपीआर कार्यान्वयन**	
1.	ईपीआर पर रजिस्ट्रीकृत यूएलबी की कुल संख्या (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त की जानी है)	
2.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का ब्यौरा (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाना है)	

	नाम	**प्रकार पुनर्चक्रणकर्ता/ सह-प्रसंस्करणकर्ता/अपशिष्ट से ऊर्जा/ अपशिष्ट से तेल/ सड़क निर्माण)**	**रजिस्ट्रीकरण संख्यांक**	**प्रसंस्करण क्षमता (टीपीए)**					
				प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-I)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-II)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-III)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-IV)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-V)	अन्य

3.	**पीडब्ल्यूपी (टीपीए) के माध्यम से प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट**						
	प्रकार (पुनर्चक्रणकर्ता/सह-प्रसंस्करणकर्ता/ अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल/सड़क निर्माण)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-I)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-II)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-III)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-IV)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-V)	अन्य

4.	**पर्यावरणीय प्रतिकर (ईसी) की संपरीक्षा और उदहण (ईपीआर पोर्टल से डाटा स्वतः प्राप्त किया जाए)**	
क	संपरीक्षित इकाईयों (पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी) की संख्या	
ख	उल्लंघन करती पाई गई इकाईयों (पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी) की संख्या	
ग	उल्लंघन करने वाली संस्थाओं (पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी) पर उद्गृहीत करना लगाया गया	

ङ	**नियम 4 के अधीन अभिज्ञात सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुएं, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग सहित पर अधिरोपित किए गए प्रतिबंध का कार्यान्वयन करना**				
1.	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक स्थापनों/संगठनों और महत्वपूर्ण स्थलों (हॉटस्पॉट) की कुल संख्या				
क	- वाणिज्यिक स्थापन : मॉल, सिनेमा हॉल, विमानपत्तन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन				
ख	- संस्था: विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय परिसर आदि				
ग	- महत्वपूर्ण स्थल: पर्यटन स्थल, सब्जी मंडी, थोक बाजार, मछली बाजार, फूल बाजार, धार्मिक स्थल आदि।				
2.	निरीक्षणों की कुल संख्या (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डाटा स्वतः प्राप्त किया गया)				
3.	एसयूपी प्रतिबंध उल्लंघन के लिए बंद किए गए वाणिज्यिक स्थापन और महत्वपूर्ण स्थल की कुल संख्या				
4.	निरीक्षित उद्योगों की कुल संख्या (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डेटा स्वतः प्राप्त किया गया)				
5.	प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए बंद किए गए उद्योगों की कुल संख्या				
6.	अधिरोपित किया लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए) (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डाटा स्वतः प्राप्त किया गया)				
7.	अभिग्रहीत किए गए प्रतिबंधित एसयूपी की मात्रा (टन) (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डेटा स्वतः प्राप्त किया गया)				
8.	एसयूपी मुक्त किए गए वाणिज्यिक स्थापन और महत्वपूर्ण स्थल की कुल संख्या				
9.	अभिग्रहीत एसयूपी के निपटान करने के ढंग का ब्यौरा				
	अभिग्रहीत एसयूपी की मात्रा (टन)		निपटान करने का ढंग (पुनर्चक्रण/ अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल/सह-प्रसंस्करणकर्ता/सड़क निर्माण)		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता का नाम और पता
10.	खाद योग्य प्लास्टिक सहित आनुकल्पित उत्पादन करने वाली इकाईयों का ब्यौरा				
	क्र. सं.	इकाई का नाम	एसयूपी का अनुकल्प	प्रसंस्करण क्षमता (टीपीए)	पता
11.	एसयूपी शिकायत ऐप पर प्राप्त शिकायतों की संख्या (एसयूपी शिकायत निवारण ऐप से डाटा स्वत: प्राप्त किया गया)				
12.	निपटाई गई शिकायतों की संख्या (एसयूपी शिकायत निवारण ऐप से डाटा स्वत: प्राप्त किया गया)				
च	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रवर्तन**				
1.	**रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक कच्चे माल की विनिर्माण यूनिटों का ब्यौरा**				
	कुल संख्या :		क्षमता :		विनिर्मित उत्पाद

IndiaCode

2.	**रजिस्ट्रीकृत पीडब्ल्यूपी (गैर-पैकेजिंग) प्रसंस्करण सुविधाओं का ब्यौरा**		
	कुल संख्या :	क्षमता :	विनिर्मित उत्पाद
3.	**अरजिस्ट्रीकृत विनिर्माण या पुनर्चक्रण यूनिटों का ब्यौरा (आवासीय या गैर-अनुमोदित क्षेत्रों में)**		
	कुल संख्या :	क्षमता :	विनिर्मित उत्पाद
4.	उपविधियां बनाने वाली यूएलबी की संख्या		
5.	उल्लंघनों की संख्या और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, यथा संशोधित, 2018 (नियम 12) के उपबंधों का अनुपालन करने पर की गई कार्रवाई		
6.	उल्लंघनों की कुल संख्या (कूड़ा जलाना/फैलाना/अरजिस्ट्रीकरण और अन्य अनुपालन)		
7.	की गई कार्रवाई (अधिरोपित जुर्माना/बंद करने का आदेश जारी किया गया)		

16. उक्त नियमों में प्रारूप VII के पश्चात निम्नलिखित प्रारूप अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

प्रारूप VII

[नियम 17 (2) देखें]

प्लास्टिक कच्चे माल की तिमाही रिपोर्ट के लिए रूपविधान

प्लास्टिक कच्चे माल के विनिर्माता/आयातक

वर्ष : तिमाही : तिमाही 1/ तिमाही 2/ तिमाही 3/ तिमाही 4

क्र.सं.	क्रेता का नाम	क्रेता का पता	ई-मेल आईडी	दूरभाष सं.	क्रेता की श्रेणी	क्रेता का जीएसटी नं.	प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी	आपूर्तित प्लास्टिक कच्चे माल की मात्रा (टन)	आपूर्तित प्लास्टिक कच्चे माल का प्रकार

नोट :

(i) तिमाही रिपोर्ट सीपीसीबी द्वारा विहित इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में दिए गए निदर्शन पत्र के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) तिमाही रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए संव्यवहार के पृथक-पृथक बीजक अपेक्षित नहीं है।

क्रेता की श्रेणी

1. बड़े और मध्यम उत्पादक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार)
2. सूक्ष्म और लघु उत्पादक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार)
3. ब्रांड स्वामी
4. विक्रेता
5. अन्य (गैर-प्लास्टिक पैकेजिंग अनुप्रयोग)

आपूर्तित प्लास्टिक कच्चे माल का प्रकार

IndiaCode

1. पीईटी
2. एचडीपीई
3. पीवीसी
4. एलडीपीई
5. पीपी
6. पीएस
7. अन्य
8. विनिर्दिष्ट वातावरण में जैव अपघटनीय प्लास्टिक
9. खाद योग्य प्लास्टिक

[फा. सं. 17/6/2023-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्याक 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 285 (ङ), तारीख 27 मार्च, 2018 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 571 (ङ), तारीख 12 अगस्त, 2021 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 647 (ङ), तारीख 17 अगस्त, 2021 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 133(ङ), तारीख 16 फरवरी 2022 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 522(ङ) तारीख 06 जुलाई 2022 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 318(ङ), तारीख 27 अप्रैल 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 807(ङ) तारीख 30 अक्टूबर 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे

indiacode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

G.S.R.. 201(E).—WHEREAS, the draft rules further to amend the Plastics Waste Management Rules, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 744 (E) dated the 16th October, 2023, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public on the 16th October, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received within the period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, -

(i) for clause (ac), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(ac) “Biodegradable plastics”, means plastics, other than compostable plastics, which undergoes degradation by biological processes in specific environment such as soil, landfill, sewage sludge, fresh water, marine, without leaving any micro plastics or visible or distinguishable or toxic residue, which has adverse environment impact;”;

(ii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(k) “Importer” means a person who imports for commercial use, any plastic packaging or any commodity with plastic packaging or carry bags or plastic sheets or like material, or plastic raw material including in the form of resin or pellets, or intermediate material to be used for manufacturing plastic packaging such as films or preforms;”;

(iii) for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:-

'(m) "manufacturer" means and includes a person engaged in production of plastic raw material, including compostable plastics and biodegradable plastics;';

(iv) in clause (n), the words "metallised layers or" shall be omitted;

(v) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:-

'(s)"producer" means a person engaged in manufacturing of plastic packaging; and, includes a person engaged in manufacture of intermediate material to be used for manufacturing plastic packaging, and also the person engaged in contract manufacturing of products using plastic packaging or through other similar arrangements for a brand owners;';

(vi) after clause (u), the following clause shall be inserted,-

'(ua) "seller" means a person who sells plastic raw material such as resins or pellets or intermediate material used for producing plastic packaging;'.

3. In the rule 4 of the said rules,-

(A) in sub-rule (1), -

(i) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer or to a seller not registered under these rules;";

(ii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

"(h) the provision of thickness under clause (c) shall not apply to carry bags or commodities made from compostable plastic or biodegradable plastics. Carry bags and commodities made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS/ISO 17088:2021 titled as Specifications for Compostable Plastics.;",

(iii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely :-

"(ha) the manufacture of carry bags and commodities covered under sub rule (3) shall be permitted to be made from compostable plastics or biodegradable plastics subject to mandatory marking and labelling laid down under these rules and the regulations of the Food Safety and Standards Authority of India for food contact applications. The manufacturers of compostable plastic or biodegradable plastic carry bags or commodities permitted under the rules, shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling;",

(B) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(3A) The manufacturer of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics shall report the quantity of such commodities introduced in the market and pre-consumer waste generated to the Central Pollution Control Board.";.

(C) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(5) Every manufacturer of commodities made from plastic or part thereof shall ensure processing of the pre-consumer plastic waste generated in the form of reject or discard material at the stage of manufacturing and such manufacturer shall report to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned.";

4. In rule 6 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), the words "or producers" shall be omitted;

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) Every manufacturer, producer, importer, brand owner, manufacturer of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics may engage with local body on voluntary basis, as per mutually agreed terms and conditions entered into by them and the local body"

(iii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(5) The local body shall undertake assessment of plastic waste generated, including plastic waste existing in dump sites, by the 30th June of every year and also estimate the quantity of plastic waste to be generated in following five year period.

(6) The local body shall assess the plastic waste management infrastructure available for collection, segregation and processing and send a report to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by 30th June of each year.

(7) The local body shall take necessary measures to prevent stocking, distribution, sale and usage of prohibited single use plastic items in their jurisdiction.

(8) The local body shall include in the annual report the following details on plastic waste management, namely:-

(i) plastic waste generated, including plastic waste existing in dump sites, in a year;

(ii) plastic waste management infrastructure available for collection, segregation, processing;

(iii) projection of plastic waste to be generated;

(iv) status on framing and implementation on byelaws;

(v) actions taken action to prevent stocking, distribution, sale and usage of prohibited Single Use Plastic items.".

5. In rule 7 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1),-

(A) after the words "gram panchayat" the words "or panchayat at district level" should be inserted;

(B) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

(d) engaging civil societies or groups working with waste pickers;

(e) ensuring that open burning of plastic waste does not take place;

(f) taking necessary measures to prevent stocking, distribution, sale and usage of prohibited Single Use Plastic items in their jurisdiction.";

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) Every Producer, Importer and Brand owner, manufacturer and manufacturer of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics may engage with Panchayat at District and Village levels, on a voluntary basis, as per mutually agreed, terms and conditions entered into by them and the Panchayat at District and Village levels."

6. After rule 7 of said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"7A. Responsibility of Panchayat at District level.-

(1) The Panchayat at District level shall undertake assessment of plastic waste generated, including plastic waste existing at dump sites, by the 30th June of every year for rural areas of the district and also estimate the quantity of plastic waste to be generated in following five year period.

(2) The Panchayat at District level shall assess the plastic waste management infrastructure available for collection, segregation and processing and report to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by 30th June each year.

(3) The Panchayat at District Level shall include in the annual report the following details on plastic waste management, namely:-

(i) plastic waste generated, including plastic waste existing at dump sites, in a year;

(ii) plastic waste management infrastructure available for collection, segregation, processing;

(iii) projection of plastic waste to be generated;

(iv) status on framing and implementation on byelaws;

(v) actions taken action to prevent stocking, distribution, sale and usage of banned Single Use Plastic items.".

7. In rule 9 of the said rules,-

(i) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) The Producers, Importers and Brand Owners who introduce any plastic packaging in the market shall be responsible for collection of such plastic packaging.

(2) Where any Producer, Importer or Brand owner fulfils his extended producer responsibility, he is deemed to have complied with his responsibility under sub-rule (1).

(2A) The Producers, Importers, Brand Owners, manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics, shall fulfil Extended Producer Responsibility as per guidelines specified in Schedule- II.".

8. In rule 10 of the said rule,-

(a) in sub-rule (6), the following proviso shall be inserted, namely: -

" Provided that where testing of biodegradable plastic had commenced prior to the registration of a laboratory, and the report is in conformity with IS 17899 T:2022, the Central Pollution Control Board shall ask the applicant for re-testing and permit the production or usage of such biodegradable plastic, till the period the test report is received from duly recognized laboratory subject to furnishing of bank guarantee equal to the amount of Environment Compensation leviable under rule 18:

Provided further that the bank guarantee shall be forfeited if the result of such test does not conform to IS 17899 T: 2022.

(b) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(7) BIS shall specify separate colour or marking for plastic packaging and commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics.".

9. In rule 11 of the said rule,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Each recycled plastic packaging or commodity shall bear a label "recycled having [-----specify percentage-----] of recycled plastic" and a mark as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 2023 titled as "Plastics — Recovery and Recycling of Plastics Waste — Guidelines", as amended from time to time."



IndiaCode

NOTE: PET-Polyethylene terephthalate, HDPE-High density polyethylene, V-Vinyl (PVC), LDPE- Low density polyethylene, PP-Polypropylene, PS-Polystyrene and Other means all other resins and multi-materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephalate) etc.

(ii) after sub-rule (2) the following sub-rules shall be inserted, namely: -

"(3) Each plastic packaging or commodity made from compostable plastics shall bear a label "compostable only under industrial composting" and shall conform to the Indian Standard: IS/ISO 17088:2021 titled as Specifications for Compostable Plastics.";

'(4) Each plastic packaging or commodity made from biodegradable plastic shall bear the label "Biodegradable in [--- specify number of days ---] only in the [---specify recipient environment such as soil, landfill, water etc.---]".'.

10. In rule 13 of the said rules,-

(i) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) Every manufacturer and importer of plastic raw material shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned, for registration, in the Form III:

(4A) For the purpose of these rules, the manufacturer and importer of plastic raw material shall,-

(i) sell plastic raw material only to Producer or Seller registered under these rules and the Registration number of such Producer or Seller is mentioned on sale invoice for sale of plastic raw material;

(ii) not sell plastic raw material to any entity or units engaged in manufacturing of prohibited single use plastic items;

(iii) print the following on all packaging bags of plastic raw material:

"Not to be used in the manufacture of single use plastic items prohibited under the Plastic Waste Management Rules, 2016 including plastic sheets < 50 micron thickness, non-woven carry bags < 60 GSM, Carry bags < 120 micron thickness";

(iv) submit Quarterly Report to the Central Pollution Board and State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned;

"(4B) Every person engaged in sale of plastic raw material or an intermediate material used for manufacture of plastic packaging to producer shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned, for registration.";

(ii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) Where the registration is not granted within a period of thirty days after the receipt of application complete in all respect, the applicant shall be deemed to be registered under these rules on the expiry of such period."

11. for rule 17, the following rule shall be substituted:

"17. Annual reports.- (1) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit online an annual report in Form-IV to the local body concerned and also to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by the 30th April of every year.

(2) Every manufacturer and importer of plastic raw material shall prepare and submit online a quarterly report in Form VII to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by the last day of month following the quarter and an annual report by 30th June of every year.

(3) Every person engaged in the sale of plastic raw material or an intermediate material used for manufacture of plastic packaging shall prepare and submit online an annual report mentioning therein the detail of transactions to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by the 30th June of every year.

(4) Every urban local body and Panchayat at District Level shall prepare and submit online an annual report in Form –V to the Urban Development Department and to Rural Development Department, respectively, and also to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by the 30th June every year.

(5) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned shall cause the report submitted by the urban local body and Panchayat at District level to be audited by itself or through a designated agency and copy of the report of such audit and the annual report shall be made available on website of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned.

(6) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit online an annual report in Form VI to the Central Pollution Control Board on the implementation of these rules by the 31st July of every year.

(7) The Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual report on the implementation of these rules and submit to the Central Government along with its recommendations on or before the 31st August of every year.".

12. In schedule II to the said rules,-

(i) in the heading after the words "Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging", the words "and commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics" shall be inserted.

(ii) for paragraph 4, the following paragraph shall be substituted, -

"4. Obligated Entities:

The following entities shall be covered under the Extended Producer Responsibility obligations, namely: -

(a) Producer of plastic packaging, other than micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(b) Importer of plastic packaging including intermediate material used for manufacturing plastic packaging such as films and preforms and plastic packaging of imported products;

(c) Brand Owners including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(d) Plastic Waste Processors;

(e) Manufacturers and importers of plastic raw material;

(f) Manufacturers of items made from compostable plastics or biodegradable plastics.".

(iii) in paragraph 5, in sub-paragraph (5.1),

(a) in item (iv), after the words "carry bags", the words "and commodities" shall be inserted;

(b) after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-

"(v) Category V

Plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags and commodities made of biodegradable plastics.".

(iv) in paragraph 6, in sub-paragraph (6.1), for the following items shall be substituted, namely:-

"(a) The following entities shall register on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board, namely: -

(i) Producer (P) including micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)

(ii) Importer (I);

(iii) Brand owner (BO);

(iv) Plastic Waste Processor engaged in (a) recycling, (b) waste to energy, (c) waste to oil, and (iv) industrial composting;

(v) Manufacturers and importers of plastic raw material;

(vi) Manufacturers of items made from compostable plastics or biodegradable plastics.".

(v) in paragraph 7,-

(a) sub-paragraph (7.8) shall be omitted;

(b) after sub-paragraph (7.7), the following new sub-paragraph (7.8) shall be inserted, namely:-

"(7.8) Manufacturer or importer of plastic raw material - Extended Producer Responsibility Target:

(i) The extended producer responsibility of producers, which are micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), hereinafter referred to as micro and small producers, shall be fulfilled by manufacturer or importer of plastic raw material who has supplied the plastic raw material to such micro and small producers:

Provided that the target for use of recycled plastic content shall be fulfilled by such producers.

(ii) The Extended Producer Responsibility target category-wise for manufacturer or importer of plastic raw material shall be the quantity of plastic raw material sold to micro and small producers where the sale invoice is authenticated by the manufacturer or importer of plastic raw material, on the centralized online portal, excluding the sale made by such micro and small producers to Brand Owners and Producers, which are not categorized as micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

(iii) The producer, which is a micro or small enterprise, shall declare category of plastic packaging manufactured by it on the centralized online portal.

(iv) While fulfilling the Extended Producer Responsibility target the manufacturer or importer of plastic raw material shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under the Extended Producer Responsibility Target, category-wise, as given in the Table below, namely: -

TABLE

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste

(% of Extended Producer Responsibility Target)

Plastic packaging category	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category I	50	60	70	80
Category II	30	40	50	60
Category III	30	40	50	60

(vi) in paragraph 8, after sub-paragraph (8.4), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :-

"(8.5) The Central Pollution Control Board shall issue guidelines for authorisation of agencies for establishment of electronic platform for trade of Extended Producer Responsibility certificates between obligated entities.

(8.6) The number of electronic platform may be restricted keeping in view volume of trade of Extended Producer Responsibility certificates.

(8.7) The operation of electronic platform shall be as per guidelines issued by Central Pollution Control Board after approval of the Central Government.

(8.8) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and the lowest price for extended producer responsibility certificates which shall be equal to 100 % and 30 % ,respectively, of the Environment Compensation leviable on the obligated entities for non-fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations, under rule 18 of these rules.

(8.9) The exchange price of Extended Producer Responsibility certificate between registered entities through the portal shall be between the highest and the lowest prices as fixed above.";

(vii). in paragraph 10,-

(a) in the heading, for the words " Role of Producers, Importers & Brand-Owners", the words "Role of Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastic or biodegradable plastic" shall be substituted;

(b) for sub-paragraph (10.1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(10.1) The Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastic or biodegradable plastic shall have to register through the online centralized portal."

(c) for sub-paragraph (10.5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(10.5) Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastic or biodegradable plastic may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model in order to develop a separate waste stream for collection of plastic packaging waste for directly fulfilling Extended Producer Responsibility obligations to prevent mixing of plastic packaging waste with solid waste.";

(d) in sub-paragraph (10.6),

(A) after the words "Producers, Importers & Brand Owners", the following words shall be inserted "manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable or biodegradable plastics".

(B) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the annual return under this sub-paragraph in respect of the financial year 2022-2023 may be filed on or before 31st March 2024.";

(viii) in paragraph 11, in sub-paragraph (11.2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the annual returns under this sub-paragraph in respect of the financial year 2022-2023 may be filed on or before the 31st March 2024;".

(ix) in paragraph 15, for sub-paragraph(15.1), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

"(15.1) The Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics shall provide the details of certificates for plastic waste recycled and sent for end of life disposal, by 30th June of next financial year while filing annual returns on the online portal.

(15.2) The details of certificates provided by Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastic or biodegradable plastics and registered plastic waste processors shall be verified and in case of difference, the lower figure shall be considered towards fulfilment of Extended Producer Responsibility obligation under these rules.

(15.3) The certificates shall be subject to verification by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned, as the case may be.

(15.4) The Manufacturer of biodegradable plastics shall fulfil their Extended Producer Responsibility obligations by obtaining Extended Producer Responsibility certificates generated by local authorities, as per agreed modalities.

(15.5) The local authorities shall generate Extended Producer Responsibility certificates equal to the biodegradable plastic collected by them and put to end of life biodegradation in the respective recipient environment as per standard notified by Bureau of Indian Standards, which shall be recorded, and details of such certificates obtained by the manufacturers of commodities of biodegradable plastics shall be submitted on the centralised online portal while filing annual returns under these rules. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal."

13. for 'Form -I' of the said rules, the following shall be substituted as follows, namely:-

FORM - I

[See rules 13 (2)]

APPLICATION FOR REGISTRATION FOR PRODUCERS or Brand Owners

From:

……

…….(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

.....……. Pollution Control Board or Pollution Control Committee

…….

…….

Sir,

I /We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste Management Rules, 2016

1. Producers

(A) other than micro and small enterprises (as per criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India)

PART – A **GENERAL**		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing of: i. Carry bags; (a) petro- based, (b) Compostable ii. Multilayered plastics	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4.(a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.	
6.	Status of compliance with these rules- Thickness – fifty micron (Yes/No)	
PART – B **PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS**		
7.	a. Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of	

IndiaCode

	1974)? If yes, attach a copy	
	b. Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C **PERTAINING TO WASTE**		
8.	Solid Wastes or rejects: a. Total quantum of waste generated b. Mode of storage within the plant c. Provision made for disposal of wastes	
9.	Attach or Provide list of person supplying plastic to be used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet of like or multilayered packaging	
10.	Attach or provide list of personnel or brand Owners to whom the products will be supplied	
11.	Action plan as per Regulation notified for Extended Producer Responsibility	
Name and Signature Designation Date : Place :		

IndiaCode

(B) Producers; Micro and Small Enterprises (as per criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India)

PART-A General		
1.	Micro or Small Producer	
2.	Details: (a) Name and location (b) Registered Address (c) Postal Address (d) GST No. (e) PAN No. (f) CIN No (Applicable for companies) (g) Udyam Registration No.	
3.	Authorized Person Details: (a) Name (b) Designation (c) Mobile No. (d) Aadhaar No. (Aadhaar authentication on voluntary basis) (e) PAN No. (f) Email ID	

4.	Plastic packaging manufactured: Category - I /Category - II/ Category - III/ Category - IV/Category – V)	
5.	Year of commencement of business	
6.	Unit Location: S.No. Place of Manufacturing unit Manufacturing capacity (plastic-packaging category wise)	
7.	Total Capital invested in project	
Part B: Details on plastic packaging		
8.	Manufacturing details Year 1 Year 2 Quantity (MT) 1. Raw material procured 2. Plastic packaging produced category-wise 3. Total Plastic packaging sold category-wise (MT) a. Plastic packaging sold to Brand owner b. Plastic packaging sold to Producer (Large and Medium) c. Plastic packaging sold to Producer (Small and micro) c. Plastic packaging sold to seller 4. Pre-consumer plastic packaging waste (MT)	
9.	Status of Compliance with Rule 4 of Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended	Yes/No
10.	Cover Letter (with attachment)	
11.	Self-Declaration by Micro and Small Producers	
12.	Authorized Signatory	
13.	Self-Declaration: Name: Digital Signature Date: Place:	

IndiaCode

Note:

(i) The registration shall be based upon self-declaration and done through centralized online portal on plastic packaging.

(ii) In case of proprietorship firm not registered under any Act or rules of the Central Government or the State Government, the proprietor may use his or her Permanent Account Number (PAN) issued by Income Tax Department for registration of the enterprise.

2. Brand Owners:

PART – A **GENERAL**		
1.	Name, address and Contact number	
2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
PART – B **PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS**		
5	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
6	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C **PERTAINING TO WASTE**		
7.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
8.	Attach or Provide list of person supplying plastic material	
9	Action plan on collecting back the plastic wastes	
		Name and Signature Designation Date : Place :

IndiaCode

3. Importers:

Item 3, 4, 5 of Part A, Part B, and item 7 and 8 of Part C, to be filled as per applicability.

PART – A **GENERAL**		
1.	Name, Address and Contact number	

2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
6 (a)	Quantity of plastic sheet or like used for packaging of imported or to be imported products	
(b)	Quantity of imported or to be imported plastic sheet or like used for packaging for further supply or self-use	
(c)	Quantity of imported or to be imported multilayered packaging for further supply or self-use	
PART – B **PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS**		
5	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
6	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C **PERTAINING TO WASTE**		
7.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
8. (a)	Attach or Provide list of person supplying imported (i) plastic sheet or like used for packaging, (ii) multilayered packaging	
(b)	Quantity of imported (i) plastic sheet or like used for packaging, (ii) multilayered packaging used for self use	
9	Action plan as per Regulation notified for Extended Producer Responsibility	
Name and Signature Designation Date :		

IndiaCode

Place :

14. For Form V in the said rules, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM V

[See rules 17 (4)]

(A) FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE URBAN LOCAL BODY

Period of Reporting: (Year)

A	**General Information**	
1	Name of the City or Town and State:	
2	Name & Address of Local body	
3	Contact E-mail:	
4	Contact Phone No.	
5	Population	
6	Area in sq. Kilometers	
7	Whether separate Plastic Waste Management Cell is operational (Y/N)	
8	Staff deployed in Plastic Waste Management Cell	
9	Total numbers of the wards in the area under jurisdiction	
10	Total numbers of households in the area under jurisdiction ward –wise	
11	Number of households covered by door-to-door collection – ward-wise	
12	Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction and those covered by door to door collection	
a	Commercial establishments	
b	Institutions	
13	(i) Details of human resource including waste pickers in informal sector (concessionaire or own resource) deployed for (a) Collection (b) Street sweeping (c) Transportation (d) Segregation (e) Processing (f) disposal (ii) Details of waste pickers engaged in plastic waste management (ward wise) No. of waste pickers	
B	**Plastic Waste Management**	
1	Quantity of Plastic Waste generated (Tonnes) as per CPCB methodology	
2	Compositional characterization of plastic waste as per CPCB methodology	
	• Plastic packaging (Cat I/Cat II/Cat III/Cat IV/Cat V)	
	• Others type of plastic waste (i) recyclable and (ii) non-recyclable	
3	Door to Door collection of segregated waste (coverage in % or number of households) – ward-wise	

IndiaCode

4	Total no. and capacity of MRF	
	(a) No. and capacity of Mechanical MRF Facilities No. Capacity (MT) Waste segregated (MT)	
	b) No. and capacity of Manual MRF Facilities No. Capacity (MT) Waste segregated (MT)	
5	Number of plastic recycling facilities with details of category- wise Name and address with EPR registration number Capacity (MT) Total Plastic Waste recycled (MT) Plastic packaging waste recycled category –wise (MT) Other plastic waste recycled (MT) EPR certificates generated category-wise (MT)	
6	Number and capacity of industrial composting unit for compostable plastics Name and address with EPR registration number Capacity (MT) Waste composted (MT) Compostable plastics processed (MT)	
7	Number and capacity of Operational Waste to energy Plants Name and address with EPR registration number Capacity (MT) Plastic Waste processed (MT) Energy produced	
8	Number and capacity of operational wastes to Oil units Name and address with EPR registration number Capacity (MT) Waste processed (MT) Oil generated	
9	Quantity and capacity of Plastic waste used in road construction along with KM Plastic Waste used (MT) Road Length (Km)	
10	Disposal of thermoset plastic as per guidelines Thermoset plastic Waste sent to secured landfill (MT) Thermoset plastic Waste co-processed (MT)	
11	Cement plants for plastic waste for coprocessing	
a	Name and address with EPR registration number Total unsegregated waste received (MT) Percentage of plastic waste in unsegregated waste Plastic waste co-processed (MT)	
b	Name and address with EPR registration number Total segregated plastic waste received (MT) Plastic waste co-processed category-wise (MT)	
12	Quantity of inert material disposed (MT) from recyclers and other waste processor in sanitary landfill	
13	Scientific Landfill site (number and capacity) No. Capacity (MT) Waste received (MT)	
14	Legacy waste site (number and amount of legacy waste) Waste present (MT) Waste processed to RDF (MT) Plastic waste in RDF (%) Waste remaining (MT)	
15.	EPR Registration No. of ULB in case registered	
16	EPR Guidelines leveraged for PWM (Y/N) Details to be attached	
C.	**Enforcement of Plastic Waste Management Rules**	
1	Please confirm if Bye- laws have been framed (Yes/No)	
2	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of PWM Rules, 2016, except for banned Single Use Plastics and plastic carry bags (Rule 12)	

indiacode

(i)	Total no of Violations (eg. Burning/ Littering of plastic waste)				
(ii)	Actions Taken (Fines/penalties Imposed Rs.)				
3	**Implementation of ban imposed under Rule 4 including on identified single use plastic items, plastic carry bags having thickness less than 120 microns (ward-wise) (quarterly reporting)**				
(i)	Registration number CPCB SUP compliance App				
(ii)	Total number of commercial establishments/Institutions and Hotspots in the area under jurisdiction				
(a)	-Commercial establishments : Malls, Cinema Halls, Airports, Railway Stations, Metro Stations, others				
(b)	- Institutions- Schools, Colleges, Office Complex etc				
(c)	-Hotspots – Tourist spots, sabzi Mandi, Wholesale market, Fish Market, Flower market, Religious Places etc.				
(iii)	Total No of Inspections carried out				
(iv)	Total Fine imposed (Rs.)				
(v)	Quantity of Banned SUP seized(Tons)				
(vi)	Details of mode of disposal of seized SUP				
	Qty of SUP Seized (T)		Mode of Disposal (Recycling/ WtE/ WtO/ Co-processing/Road making)	Name & Address of the Plastic Waste Processor	
(vii)	Details of Entities producing Alternatives				
	S.No.	Name of Entity	SUP Alternative produced	Production Capacity (TPA)	Address
(ix)	Details of Entities producing compostable plastics and biodegradable plastics				
(xi)	Shops for Eco alternatives for banned Single Use Plastic items				
D.	**Data on ingress of littered plastic waste in water bodies**				
1	Ingress points for plastic waste in Drain and Water Body Number of ingress points Measures taken to stop ingress of plastic waste				
2.	Surface water bodies including river stretches Number of surfaces water bodies Quantity of plastic waste collected				
3.	Number of drains cleaned from Plastic waste Total length of drains Total length of drains cleaned from plastic waste Plastic waste collected (MT) Silt collected				

IndiaCode

(B) FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE PANCHAYAT AT THE DISTRICT LEVEL

Period of Reporting: (Year)

A	**General**	
1	Name of the District and State:	
2	Name & Address of Panchayati Raj Institution At The District Level	
3	Contact E-mail:	
4	Contact Phone No.	
5	Number of Gram Panchayats covered	
6	Number of villages covered	
7	Total Population	
8	Total Area	
9	Total number of households	
B	**Plastic Waste Management**	
1.	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved (Please attach the details)	
2.	Please attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
3.	Total no. of Plastic Waste Management Units set up with capacity	
4.	Quantity of Plastic Waste generated (Tonnes) as per CPCB methodology	
5	Plastic Waste Characterization as per CPCB methodology (Plastic packaging waste: Cat I/Cat II/ Cat III/Cat IV/Cat V and Others ((i) recyclable and (ii) non-recyclable)	
6.	Quantity of Plastic Waste collected (Tonnes)	
7.	Plastic Waste Segregated (Tonnes)	
8.	Plastic waste channelized for processing and recycling (details quantum of plastic waste, type of processing) (a) Plastic waste to recyclers (b) Plastic waste to co-processing in cement kilns (c) Plastic waste to waste to energy/waste to oil plants (d) Plastic waste for road construction	
9	(i) Details of human resource including waste pickers in informal sector (concessionaire or own resource) deployed for (a) Collection (b) Street sweeping (c) Transportation (d) Segregation (e) Processing (f) disposal (ii) Details of waste pickers engaged in plastic waste management (ward wise) No. of waste pickers	
10	EPR Guidelines leveraged for PWM (Y/N)	
	Details to be attached	
C	**Enforcement of Plastic Waste Management Rules**	
1	Please confirm if Bye- laws have been framed (Yes/No)	
2	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of PWM Rules, 2016, except for banned Single Use Plastics and plastic carry bags (Rule 12)	

IndiaCode

I	Total no of Violations (eg. Burning/ Littering of plastic waste)	
Ii	Actions Taken (Fines/penalties Imposed Rs.)	
3	**Implementation of ban imposed under Rule 4 including on identified single use plastic items, plastic carry bags having thickness less than 120 microns (ward-wise) (quarterly reporting)**	
I	Total number of Institutions & Hotspots in the area under jurisdiction	
(a)	- Institutions- Schools, Colleges, etc	
(b)	Hotspots – Subzi Mandi, Wholesale market, Fish Market, Flower market, Religious Places etc.	
II	Total No of Inspections carried out	
III	Total Fine imposed (Rs.)	
IV	Quantity of Banned SUP seized(Tons)	
D.	**Data on ingress of littered plastic waste in water bodies**	
1	Ingress points for plastic waste in Drain and Water Body Number of ingress points Measures taken to stop ingress of plastic waste	
2.	Surface water bodies including river stretches Number of surfaces water bodies cleaned Quantity of plastic waste collected	
3.	Number of drains cleaned from Plastic waste Total length of drains Total length of drains cleaned from plastic waste Plastic waste collected (MT) Silt collected	

IndiaCode

15. for Form VI in the said rules, the following shall be substituted, namely:-

FORM VI

[See rule 17(6)]

FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY SPCB/PCC

Period of Reporting:

A	**General**	
1	Name of the State/UT:	
2	Name & Address of SPCB/PCC:	
3	Contact E-mail:	
4	Contact Phone No.	
5	Details of Plastic Waste Management (State Level)	
	• Collection (MT)	
	• Segregation (MT)	
	• Processing including recycling (MT)	
	• Disposal (MT)	
B	**Mechanism of Plastic Waste Management**	
1	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in your State/UT along with the details of agencies involved (Please attach the details)	
2	Please attach details of infrastructure put in place for management of	

	plastic waste generated in your State/UT	
3	Total no. of MRF Facilities	
(a)	No. of Mechanical MRF Facilities with capacity	
(b)	No. of Manual MRF Facilities with capacity	
C	**Plastic Waste Generation, Collection, Segregation & Characterization**	
1	Total Numbers of the Urban Local Bodies (ULBs) in the area under jurisdiction	
2	No. of ULBs who have submitted Annual Report	
3	Total Numbers of the Gram Panchayat (GPs) in the area under jurisdiction	
4a	Total number of Panchayati Raj institution at District Level	
4b	No. of Panchayati Raj institution at District Level who have submitted annual report	
5	Please confirm that all GPs/ULBs have provided complete information in stipulated time as per format prescribed by CPCB (Yes/No)	
6.	Please provide no. of ULBs/GPs which have not submitted complete information within the stipulated time frame	
7.	Please provide total amount of EC levied on PRI at District Level / ULBs who have not submitted annual report as per prescribed timelines under the rules	
8.	Quantity of Plastic Waste generated (Tonnes) as per CPCB methodology (Cat I/Cat II/ Cat III/Cat IV/Cat V/ Others)	
9.	Quantity of Plastic Waste collected (Tonnes)	
10.	Plastic Waste Segregated (Tonnes)	
11.	Please confirm that all Local Bodies/ GPs have carried out Assessment of Plastic Waste Generation & Characterization as per methodology specified by CPCB (Yes/No)	
12.	Please upload Plastic Waste Characterization Report as per methodology specified by CPCB	
13.	Please confirm that data validation and reconciliation for ULB and PRI at District Level has been done as per methodology specified by CPCB (Yes /No)	
D	**Extended Producer Responsibility Implementation**	
1.	Total Number of ULBs registered on EPR (To be auto fetched from EPR portal)	
2.	Details of Plastic Waste Processors (To be auto fetched from EPR Portal)	

	Name	Type (Recycler/Coprocessors/Waste to Energy/Waste to Oil/Road Making)	Registration No	Processing Capacity (TPA)					
				PW (Cat-I)	PW (Cat-II)	PW (Cat-III)	PW (Cat-IV)	PW-(Cat-V)	Other

3.	**Plastic Waste Processed through PWPs (TPA)**						
	Type (Recycler/Coprocessors/Waste to Energy/Waste to Oil/Road Making)	PW (Cat-I)	PW (Cat- II)	PW (Cat-III)	PW (Cat-IV)	PW (Cat-V)	Others

4.	**Audit & Levying of Environmental Compensation (EC) (To be auto fetched from the EPR Portal)**	
(a)	No. of Entities (PIBOs/PWPs) audited	
(b)	No. of Entities (PIBOs/PWPs) found in violation	
(c)	EC levied on violating Entities (PIBOs/PWPs)	
E.	**Implementation of ban imposed under Rule 4 including on identified single use plastic items, plastic carry bags having thickness less than 120 microns**	
1	Total number of commercial establishments/ Institutions &	

lawCode

	Hotspots in the area under jurisdiction				
(a)	-Commercial establishments :Malls, Cinema Halls, Airports, Railway Stations, Metro Stations				
(b)	- Institutions: Schools, Colleges, Office Complex etc				
c	-Hotspots :Tourist spots, sabzi Mandi, Wholesale market, Fish Market, Flower market, Religious Places etc.				
2	Total No of Inspections (Data Auto fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
3	Total No of Commercial Establishment and hotspots closed for SUP Ban Violation				
4	Total No. of Industries inspected(Data Auto fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
5	Total no. of industries closed for manufacturing banned SUP items				
6	Total Fine imposed (Rs.) (Data Auto-fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
7	Quantity of Banned SUP seized(Tons) (Data Auto-fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
8	Total No of Commercial establishment and hotspot made SUP free				
9	Details of mode of disposal of seized SUP				
	Qty of SUP Seized (T)			Mode of Disposal (Recycling/ WtE/WtO/ Co-processing/ roadmaking)	Name & Address of the Plastic Waste Processor
10.	Details of Entities producing Alternatives including compostable plastics				
	Sl.No.	Name of Entity	SUP Alternative	Processing Capacity (TPA)	Address
11.	No of Complaints received on SUP grievance App (Data Autofetched from SUP Grievance redressal app)				
12.	No of Complaints resolved (Data Autofetched from SUP Grievance redressal app)				
F	**Enforcement of Plastic Waste Management Rules**				
1.	**Details of Registered Plastic Raw Material Manufacturing Units**				
	Total No:		Capacity:		Product Manufactured
2.	**Details of Registered PWP (Non- packaging) Processing Facilities**				
	Total No:		Capacity:		Product Manufactured
3.	**Details of Unregistered Manufacturing or Recycling Units (in residential or unapproved areas).**				
	Total No:		Capacity:		Product Manufactured
4.	No. of ULBs which have framed bye-laws				
5.	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of PWM				

IndiaCode

	Rules, 2016, as amended, 2018 (Rule 12)	
6.	Total no. of violations (Burning/ Littering/non-registration and other non-compliance)	
7.	Action Taken (Fine Imposed / Closures issued)	

16. After Form VI in the said rules, the following Form shall be inserted, namely:-

FORM VII

[See rule 17(2)]

Format for Quarterly report of Plastic Raw Material

Manufacturer/Importer of plastic raw material

Year : Quarter : Q1/Q2/Q3/Q4

S. No.	Name of Buyer	Address of Buyer	Email ID	Phone No.	Buyer Category	GST no. of Buyer	Category of plastic packaging	Qty of plastic raw material supplied (T)	Type of plastic raw material supplied

IndiaCode

Note:

(i) Quarterly report shall be submitted as per pro forma in electronic format prescribed by CPCB.

(ii) Individual invoices for transactions are not required for the purposes of quarterly report.

Buyer Category

1. Large and Medium Producers (as per criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India
2. Micro and Small Producers (as per criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India)
3. Brand Owners
4. Seller
5. Others (Non-plastic packaging applications)

Type of plastic raw material supplied

1. PET
2. HDPE
3. PVC
4. LDPE
5. PP
6. PS
7. Others
8. Biodegradable plastic in specified environment
9. Compostable plastic

[F. No- 17/6/2023 HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note- The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 285(E), dated the 27th March, 2018, vide notification number G.S.R. 571(E), dated the 12th August, 2021, vide notification number G.S.R. 647(E), dated the 17th August, 2021, vide notification number G.S.R. 133(E) , dated the 16th February 2022, vide notification number G.S.R. 522(E) dated the 6th July 2022, vide notification number G.S.R. 318(E) , dated the 27th April 2023 and last amended vide notification number G.S.R. 807(E) dated the 30th October 2023.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.15 03:42:17 +05'30'